



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
 PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
 प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2469]

No. 2469]

नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 8, 2010/अग्रहायण 17, 1932

NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 8, 2010/AGRAHAYANA 17, 1932

गृह पंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2907(अ).—आपदा प्रवंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रवंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने श्री एम. शशिधर रेडी, विधायक, सदस्य, राष्ट्रीय आपदा प्रवंधन प्राधिकरण को उक्त प्राधिकरण का उपाध्यक्ष नियुक्त किया है।

[फा. सं. 44-12/2010-एन डी एम-II]

लोकेश झा, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2010

S.O. 2907(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has designated Shri M. Shashidhar Reddy, MLA, Member, National Disaster Management Authority as the Vice-Chairperson of the said Authority.

[F. No. 44-12/2010-NDM-II]

LOKESH JHA, Jt. Secy.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 7 दिसम्बर, 2010

का.आ. 2908(अ).—आपदा प्रवंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय आपदा प्रवंधन प्राधिकरण के अध्यक्ष ने डॉ. मुजफ्फर अहमद को उक्त प्राधिकरण का सदस्य नामित किया है।

[फा. सं. 44-12/2010-एन डी एम-II]

लोकेश झा, संयुक्त सचिव

## NOTIFICATION

New Delhi, the 7th December, 2010

S.O. 2908(E).—In exercise of the powers conferred by clause (b) of sub-section (2) of Section 3 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005), the Chairperson of the National Disaster Management Authority has nominated Dr. Muzaffar Ahmad as a Member of the said Authority.

[F. No. 44-12/2010-NDM-II]

LOKESH JHA, Jt. Secy.